

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-2/1/7/रातस/एपीओ/2019/ 9750


दिनांक:- 29/9/19

:: आदेश ::

मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प-2/1/7/रातस/2019/7899 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा श्री मुकेश चंद मीण तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर का स्थानान्तरण /पदस्थापन तहसीलदार धरियावाद जिला प्रतापगढ़ के पद पर किया गया था। जिसके विरुद्ध इनके द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 14616/2019 दायर की गई। उक्त याचिका में मा. न्यायालय जयपुर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 19.9.19 पारित करते हुए मण्डल के स्थानान्तरण आदेश 26.08.2019 के प्रभाव एवं क्रियान्वन को याचि के सम्बंध में आगामी आदेशों तक स्थगित करते हुए श्री मीणा को तहसीलदार सांगानेर के पद पर कार्य करने हेतु आगामी आदेशों तक अनुमति दी है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 19.09.2019 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 26.08.2019 के द्वारा श्री मुकेश चंद मीणा तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर का तहसीलदार धरियावाद जिला प्रतापगढ़ के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन मा. न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर यथावत तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। साथ ही उक्त के परिणामस्वरूप श्री जगदीश सिंह आशिया, तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर को एपीओ किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्धारित किया जाता है।

आदेशानुसार


निबन्धक


राजस्व मण्डल राज. अजमेर

क्रमांक: सम/ 9751 - 63

दिनांक:- 29/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय राज. जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर/प्रतापगढ़।
4. विशिष्ट सहायक माननीय राजस्व मंत्री महोदय शासन सचिवालय जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
6. सम्बंधित श्री।
7. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।


निबन्धक

राजस्व मण्डल राज. अजमेर

